15/4/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त क्र- उपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल मिसल किया जाकर प्रारूपिक डिक्री जारी हो। पत्रावली निष्पादन प्रपत्र आने पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे तब तक नथी के रूप हो। आदेश सुनाया गया।

GCMS
2023/427

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज.)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

लालचन्द बनाम कालूराम आदि

किस्म मुकदमाः–53,209 आरटीए प्रकरण संख्याः–183/2023 (GCMS No. 2023/427)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 4–5 व पैरोकार राज उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी.एम.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 19/10 के पत्थर नं. 217/43 (64) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 16/0.253, 25/1/0.228=1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 217/51 (65) के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.807 हैक्टर कमाण्ड मय खाला दर्ज रिकार्ड है। जैरवाद रकबा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारा किया हुआ है। जो कि अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व भूमि की कीमत को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। वादी अब प्रतिवादीगण से अपना हिस्सा का खाता विभाजन करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो सके। रकबा संयुक्त होने से वादी को रकम मालकाना जमा करवाने तथा बैंक ऋण आदि लेने में कठिनाई होती है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 4–5 ने भी विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता विभाजन करने का निवेदन किया। पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हेतु निर्णय करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी.एम.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता नं. 19 नया 10 पुराना पत्थर नं. 217/43 (64) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 16/0.253, 25/1/0.228=1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 217/51 (65) के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.807 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी जमाबंदी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसलिये संयुक्त खाता की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य जमाबंदी में उनके हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा में रखते हुए खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 2 बी.एम.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता नं. 19 नया 10 पुराना पत्थर नं. 217/43 (64) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 16/0.253, 25/1/0.228=1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 217/51 (65) के किला नं. 1 ता 13 की 3.289 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.807 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य जमाबंदी में उनके हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को बतौर मौका कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादी द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका [illegible] एवं रास्ता, खाला की सुविधा में रखते हुए तैयार कर 15 दिवस [illegible] वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो पत्रावली [illegible] दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे। निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना) I.A.S. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.लालचन्द पुत्र पोकरराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1.कालूराम पुत्र पोकरराम
2.गीतादेवी पत्नी पोकरराम
3.गोमन्दराम पुत्र पोकरराम
4.जयचन्द पुत्र पोकरराम
5.मोतीराम पुत्र पोकरराम

} अकवाम कुम्हार निवासीयान बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 183 वर्ष 2023 (GCMS No. 2023/427) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री जसवीर सिंह व वकील प्रतिवादी सं. 4–5 श्री राहुल शर्मा तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 2 बी.एम.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता नं. 19 नया 10 पुराना पत्थर नं. 217/43 (64) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 16/0.253, 25/1/0.228=1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 217/51 (65) के किला नं. 1 ता 13 की 3. 289 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.807 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य जमाबंदी में उनके हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को बतौर मौका कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादी द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा में रखते हुए तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज......x......मुबलिग......x......बाबत......x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......x...... फस्दों की पालना......x...... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15/04/2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)